

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल
(संशोधित आदेश)

क्रमांक-एल1-10/आर-341/चार/ब-7-डीएमसी/10/761

भोपाल, दिनांक 23/6/2010

प्रति,
आयुक्त,
कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन,
मध्य प्रदेश, भोपाल
फेक्स- 0755-2676030

विषय- राज्य शासन के कोष से देयक/ चेक्स के आहरण के संबंध में ।
संदर्भ- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एल1-10/आर-341/चार/ब-7-डीएमसी/10/577
भोपाल, दिनांक 6/21-4-2010

-/-

संदर्भित आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर आगामी आदेश तक निम्नांकित प्रकृति के आहरणों हेतु वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता समाप्त की जाती है:-

- 1-केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित एवं बाह्य पोषित योजनाओं के लिए बजट में प्रावधानित राशियों के देयक।
- 2-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की बजट में प्रावधानित राशियों के देयक।
- 3-मध्य प्रदेश वेट अधिनियम के तहत देय वापसियों से संबंधित देयक ।
- 4-बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के देयक।
- 5- भू- अर्जन से संबंधित राशि।
- 6-वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा CAMPA मद में हस्तान्तरित की जा रही राशि ।
- 7 केन्द्रीय मुद्रांक डिपो नासिक के देयक।
- 8-विदेशी मदिरा के भुगतान से संबंधित देयक ।

2-उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक 1,2 तथा 4 में वर्णित देयकों के लिये यह आवश्यक होगा कि कोषालय से आहरण किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित राशि केन्द्र से राज्य शासन के खाते में जमा हो गई है।

3-निर्माण विभागों के लिए रू. एक करोड से अधिक राशि के चेक की जानकारी वित्त विभाग को भेजे जाने के निर्देश निरस्त किये जाते हैं।

4-उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के रू.पांच करोड से अधिक राशि के आहरण के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक रहेगी।

5-यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमित राठौर)

अपर सचिव एवं संचालक बजट
मध्य प्रदेश, वित्त विभाग

पृष्ठांकन-

क्रमांक-एल1-10/आर- 341/चार/ब-7-डीएमसी/10/ 762

भोपाल, दिनांक 23-6-2010

प्रतिलिपि-

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
2. समस्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश।
4. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/ बजट अधिकारियों की और सूचनार्थ।
5. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश ।

(अजय चौबे)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग